This is a digitally signed gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 1 मार्च, 2011 / 10 फाल्गुन, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

मत्स्य पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 03 जुलाई, 2010

संख्या : फिश–ए(3)–4 / 2009.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग में वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, वर्ग–III (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से सन्लग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, वर्ग—III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(i) अधिसूचना संख्या मत्स्य—ख (2)—1/78 तारीख 20—12—1979 द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश फिशरीज डिपार्टमैंट सीनीयर फिशरीज ऑफिसर क्लास—III (नॉनगजेटिड), रैक्रूटमैंट एण्ड प्रमोशन रूल्ज, 1979, का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप—नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (मत्स्य पालन)।

———————

उपाबन्ध—''क''

हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, में वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, वर्ग—III (अराजपत्रित) क पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी

2. **पदों की संख्या.**—7 (सात)

3. **वर्गीकरण.**—वर्ग—III (अराजपत्रित)

4. **वेतनमान.**—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : पे बैंड
10300—34800/—रूपए जमा 3800/— रूपए ग्रेड पे
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां
14100/— रूपए स्तम्भ 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**—अचयन

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**—18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर, नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन—जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी, हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक

सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृंद को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/किए गए थे।

1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्युनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.–(क) **अनिवार्य** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान के एक विषय सहित विज्ञान स्नातक या इसके समतुल्य।

(ख) **वांछनीय अर्हताएं** : (i) मत्स्य पालन में प्रबन्धन और विकास का तीन वर्ष का अनुभव।

(ii) अधिमान उन्हें दिया जाएगा जो इस क्षेत्र में उच्च योग्यता एवं अनुभव रखते हों।

(iii) हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.–आयु : लागू नहीं । **शैक्षिक अर्हताएं** : स्तम्भ संख्या 11 के अनुसार।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.–दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.–शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तंम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान/मत्स्य विज्ञान में विज्ञान स्नातक या इसके समतूल्य शैक्षिक अर्हता रखने वाले वरिष्ठतम मत्स्य अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो और, और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित दसवीं या इसके समतूल्य, शैक्षिक अर्हता रखने वाले मत्स्य अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (।) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह ओर भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गुम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग(काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार, स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप—मण्डल ।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमोर जिला में उपतहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाडा़ गोसाई, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्रेला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर, और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपार, मानगढ, थाच—बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपवन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थीः

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपवन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हों, होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पुर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नही समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्वू सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नौन—टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स—सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.**—जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।

13. **भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. **सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.**—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. **सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबधनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, में वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.—निदेशक, मत्स्यपालन रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी को 14,100/—. रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष(वर्षों) के

लिए संविदात्मक उपलबिधयों में 430/– रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) के बराबर वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.–निदेशक, मत्स्यपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.–संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.–जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.–अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.–(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 14,100/– रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 430/–रूपए(पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

(घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबंध, जैसे एफ.आर. एस.आर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन–जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्ध (धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (यों) के प्रवर्ग या पद (दों) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

———

उपाबन्ध–ख

वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी औरर हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्यपालन के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति ——————————सपुत्र/सपुत्री श्री —————————————— निवासी ———————————————————— संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य निदेशक मत्स्यपालन (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ———————— को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी के रूप में ——————— से प्रारम्भ होने और ————————— को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्यदिवस को अर्थात् ————————— दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14100/— रूपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी इस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल. टी. सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए, संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के संबंध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई.पी.एफ. / जी. पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में :–

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of Government Notification no. Fish-A(3)-4/2009, dated the 03 July., 2010 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FISHERIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd July, 2010

No. Fish-A(3)-4/2009.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Senior Fisheries Officer Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Fisheries, Himachal Pradesh as per Annexure-A, attached to this notification namely :-

1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Fisheries Department, Senior Fisheries Officer, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2010.

(ii) These rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra, HP.

2. Repeal and Savings.—(i) The Himachal Pradesh Fisheries Department's Senior Fisheries Officer Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1979 notified vide notification No. Fish-Kha(2)-1/78 dated 20.12.1979 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (i) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Pr.Secretary (Fisheries).

———

Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR FISHERIES OFFICER, CLASS-III, NON-GAZETTED IN THE DEPARTMENT OF FISHERIES, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Senior Fisheries Officer

2. Numbers of posts.—7 (Seven)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents Pay Band Rs.= 10300 34800+3800/-Grade Pay.

(ii) Emoluments for Contract employees 14100/- As per details given in column 15-A

5. Whether selection post or Non-Selection.—Non-selection post

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of person to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations/ and Autonomous Bodies who happened to be government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies and who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

Provided further that the provisions referred to preceding paras shall not be applicable in the case of Contract Appointments.

7 . Minimum Educational and other qualification required for direct recruits.—(a) ESSENTIAL QUALIFICATION: B.Sc. with Zoology as one of the subject from any recognized University or its equivalent.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION: (i)Three years experience in Management and Development of Fisheries.

(ii) Preference will be given to those who possessing higher qualification & experience in this field.

(iii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age : No **Educational Qualification**: as per column No. 11

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100 % by promotion, failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contranct basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Fisheries Officers on seniority basis having educational qualification of B.Sc. in Zoology / Fisheries Science or its equivalent from a recognized university with five years regular or regular combined with continuous *adhoc* service rendered, if any, in the grade and fisheries Officer having educational qualification Matric with Science or its equivalent from a recognized Board with 10 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/ difficult areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:

Provided further that the proviso(I)supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. **District Lahaul & Spiti**
2. **Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.**
3. **Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.**
4. **Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.**
5. **Pandrah Bis Pargana of Kullu District.**
6. **Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.**
7. **District Kinnaur.**
8. **Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.**
9. **Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gad-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.**

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of

service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P rules; provided that.

In all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of vacancies in Himachal State Non-Technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provision of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservations of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P rules ;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a departmental promotion committee, exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the HP PSC is to be consulted in making recruitments.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be 'a Citizen of India'.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of vivavoce test if the HP PSC or other recruiting authority as the case may be so consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus, etc. of which will be determined by the Commission or other recruiting authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Senior Fisheries Officer in the Department of Fisheries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—**The Director, Fisheries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Senior Fisheries Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs14100/- P.M.(which shall be equal to minimum of pay band+Grade pay). An amount of Rs 430/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Fisheries H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P.S.S.S.B, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.S.S.S.B. Hamirpur from time to time.

(VI) **AGREEMENT.—**After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 14100/- per month(which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 430/- (3% minimum of the Pay Band+ Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the HP Government from time to time.

17. Deptt. exam.—NA

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may, by order, for reasons, to be recorded in writing and in consultation with the HP PSC, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the Senior Fisheries Officer_____& the Government of Himachal Pradesh through Director-cum-Warden of Fisheries, Fisheries Department

This agreement is made on this----------day of ----------in the year.....Between Sh/Smt./Km.....S/o/D/o.....Shri..... R/o..... .....contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Fisheries, Himachal Pradesh(here-in-after called the SECOND PARTY) The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Senior Fisheries Officer on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Senior Fisheries Officer for a period of 1 year commencing on day of.....and ending on the day of ..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on..... And information notice shall not be necessary.

2. The contract amount of the FIRST PARTY will be Rs 14,100/- P.M.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year.No leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contractual appointee.....shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN THE PRESENCE OF WITNESSES:

1. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

In the presence of witness

(Signature of the First party)

2. .....
.....
.....

(Name and Full Address)

(Signature of the Second Party)

2. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

मत्स्य पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 28 अगस्त, 2010

संख्याः फिश.–बी(2)2 / 83–III.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 26–10–2009 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग मत्स्य अधिकारी वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य अधिकारी वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **उपाबन्ध ''क'' का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग मत्स्य अधिकारी वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध ''क'' में :––

(क) स्तम्भ संख्या–4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः––

(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान पे बैंड 10300–34800 ग्रेड पे 3600 / – प्रारम्भिक वेतन 14430 / –

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां रू0 13900 / – (स्तंभ 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)

(ख) स्तम्भ संख्या–15(क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबधनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएंगी :––

(I) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, में मत्स्य अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौतरी / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा ओर आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाः––निदेशक, मत्स्यपालन रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त मत्स्य अधिकारी को 13,900 / –. रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम + ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की

जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलबिधयों में 420/– रूपये की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम +ग्रेड पे का 3%) के बराबर वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.––निदेशक, मत्स्यपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.––(क) संविदात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13900/–रुपये की नियत संविदात्मक रकम(जो कि पे बैंड की न्यूनतम + ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आग` बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 420/– रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम+ग्रेड पे का 3%) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

(घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिक्त्सिा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबंध जैसे एफ.आर.एस. आर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम इत्यादि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव, मत्स्य पालन विभाग।

————————

उपाबन्ध–ख

मत्स्य अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य, मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्री मति.....पुत्र /पुत्री श्री..... निवासी..... .....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, निदेशक मत्स्य पालन विभाग, (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने मत्स्य अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः––

1. यह कि प्रथम पक्षकार मत्स्य अधिकारी के रूप में .....से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

   परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौतरी/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दोरान संतोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदा रकम 13,900/ –रूपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नही पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) कि जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियंत्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिक्त्सिा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा (जी0आइ0 एस0) योजना के साथ–साथ इ.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

साक्षी की उपस्थिति में

1. .....
   .....
   .....
   (नाम व पूरा पता)
2. .....
   .....
   .....
   (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति में

1. .....
   .....
   .....
   (नाम व पूरा पता)
2. .....
   .....
   .....
   (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[*Authoritative English Text of this department notification No. Fish-B*(2)2/83-III, *dated* 28.08.2010 *as required under clause*(3)*of Article* 348 *of the constitution of India*).

FISHERIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 28*th August,* 2010

No. Fish-B(2)2/83-III.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the H.P.Public

Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Fisheries, Fisheries Officer ,Class-III- (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009 notified vide this Department Notification of even number dated 26.10.2009, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Fisheries, Fisheries Officer, Class-III(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion(first amendment) Rules, 2010

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Department of Fisheries, Fisheries Officer, Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009,

(a) for the existing provisions against Col.No.4, the following shall be substituted, namely:—

(i) Pay scales for regular incumbents Pay Band 10300-34800 Grade Pay 3600
Initial Pay 14430/-

(ii) Emoluments for contract employees Rs. 13900/-
(As per details given in col. 15-A)

(E) For the existing provisions against Col.No.15-A, the following shall be substituted, namely:—

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Fisheries Officer in the Department of Fisheries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director, Fisheries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. Subordinate Services Selection Board.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Fisheries Officer on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 13900/- P.M.(which shall be equal to minimum of pay band+Grade pay). An amount of Rs 420/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Fisheries H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P.S.S.S.B.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Services Selection Board from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 13900/- per month(which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 420/ (3% minimum of the Pay Band+ Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given .

(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column

By order,
Sd/-
Pr. Secretary, Fisheries.

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the Fisheries Officer_____& the Government of Himachal Pradesh through Director-cum-Warden of Fisheries, Fisheries Department.

This agreement is made on this----------day of ----------in the year.....Between Sh/Smt./Km.....S/o/D/o.....Shri..... R/o..... .....contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Fisheries,Himachal Pradesh(here-in-after called the SECOND PARTY) The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a .. Fisheries Officer on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Fisheries Officer for a period of 1 year commencing on day of.....and ending on the day of ..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on..... And information notice shall not be necessary.

   Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed extended.

2. The contract amount of the FIRST PARTY will be Rs 13900/- P.M.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contractual. appointee.....shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN THE PRESENCE OF WITNESSES:

1. .....
.....
.....
(Name and Full Address)
In the presence of witness (Signature of the First party)

2. .....
.....
.....
(Name and Full Address) (Signature of the Second Party)

2. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

28 फरवरी, 2011

संख्याः टीसीपी–एफ(5)–5 / 2010.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15–क(2)(क), 16(क) और 30(1) के साथ पठित धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार की अधिसूचना संख्याः9–12 / 72–पीडब्ल्यू (बी) तारीख 19–12–1978 द्वारा अधिसूचित राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 06–04–1979 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 1978 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती हैं और इन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए एतद् द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया जाता है।

इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को इन प्रारूप नियमों की बावत, यदि कोई आक्षेप (पों) या सुझाव(वों) हैं, तो वह उसे / इन्हें राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधरण) में इनके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा।

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों / सुझावों, यदि कोई हो, पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थातः––

1. **संक्षिप्त नाम.––**इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) नियम, 2011 है।

2. **नियम 12 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 1978 के नियम (रूल) 12 के उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप नियम (सब रूल) (2ए) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:——

"(2A) In cases of construction carried out without obtaining prior development permission as required under sections 15-A, 16 and 30 but without any violation of regulations of Interim Development Plans/Development Plans and any of the provisions of these rules, the structure so constructed shall be regularized on payment of composition fees equal to 10 times of development fee under this rule."

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

———————

[*Authoritative English text of Government Notification No. TCP-F*(5)-5/2010, *dated* 28-02-2011 *as required under clause* (3) *of article* 348 *of the Constitution of India*].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 28th February, 2011

NO. TCP-F(5)-5/2010.—In exercise of the powers conferred under section 87 read with section 15-A (2) (a), 16 (a) and 30 (1) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978 notified vide Government notification No. 9-12/72-PW (B) dated 19.12.1978, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh(Extra Ordinary) dated 6.4.1979 and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) for the information of the general public.

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) with respect to these draft rules, he may send the same to the Principal Secretary (TCP) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla within a period of 30 days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Objections/suggestions, if any, received within the period specified above, shall be considered by the State Government, before finalizing these draft rules, namely :—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Rules, 2011.

2. Amendment of Rule-12.—After sub-rule (2) of rule 12 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978, the following new sub-rule (2A) shall be inserted, namely:—

"(2A) In cases of construction carried out without obtaining prior development permission as required under sections 15-A, 16 and 30 but without any violation of regulations of Interim Development Plans/Development Plans and any of the

provisions of these rules, the structure so constructed shall be regularized on payment of composition fees equal to 10 times of development fee under this rule."

By order,
Sd/-
Principal Secretary (TCP).

———————

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 26 फरवरी, 2010

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 13 / 2010.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव फाटी भ्यार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में सड़क लुहरी औट स्थित खुन्दन पुल के निर्माण हेतु अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3 भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र (बीघा–बिस्वा)
कुल्लू	बन्जार	फाटी भ्यार	1596 / 1	0–2–8
			1594 / 1	0–5–7
		कुल जोड़ किता : 2		0–7–15

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

————————

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 26 फरवरी, 2010

संख्या पी.बी.डब्लयू(बी)एफ (5)94 / 2010.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भाम्बला, उप–तहसील

बल्द्वाडा, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर–सरकाघाट–घुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणी

जिला	उप–तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र है0 में
मण्डी	बलद्वाड़ा	भाम्बला	168 / 1	0–00–64
		कुल जोड़ किता–1		0–00–64

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

———————

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 26 फरवरी, 2011

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5)39 / 2008.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव झिकला हटवास, तहसील कांगड़ा, जिला कांगडा में पठानकोट–चक्की–मण्डी राष्ट्रीय उच्च मार्ग–20 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (कांगड़ा क्षेत्र) कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (कांगड़ा क्षेत्र) कांगड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	रकवा (है0) में
कांगड़ा	कांगड़ा	झिकला हटवास	54	0–00–36
			55	0–00–66
			56	0–00–27
			57	0–00–36
			58	0–00–32
			67 / 1	0–00–18
			67 / 1 / 1	0–00–24
			कुल किता 7	0–02–39

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

———

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
Kinnaur at Reckong Peo, Himachal Pradesh

NOTIFICATION

Kinnaur, the 4th February, 2011

No. FDS-KNR(S)12-1/82-VI- 3438-72.—In super-session of all previous notification and in exercise of the powers conferred upon me under Clause 3(i)(e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Dr. Sunil Chaudhry, IAS, District Magistrate, Kinnaur at Reckong Peo (HP) with a view to make the following items available to the public/ Consumer at reasonable rate in the market, do hereby fix the maximum retail prices inclusive of all taxes and other incidental charges in respect of the following items that may be charged by a dealers or a producer in District Kinnaur with immediate effect.

Sr. No. of the article as per schedule-1 of the said order.	Name of the articles			Maximum Retail Prices
12	**Meat/ Chicken/Fish**			
	1	Meat Goat/ Bheda	Per Kg.	160-00
	2	Meat Pig	Per Kg.	60-00
	3	Chicken dressed	Per Kg.	100-00
	4	Broiler Dressed	Per Kg.	120-00
	5	Fish Fried	Per Kg.	95-00
	6	Fish Unfried	Per Kg.	60-00
	7	Kima/ Kaleji	Per Kg.	160-00
	Cooked Food served in any Dhabhas/ establishment			
	1	Full Diet (Rice, Chapatti with Dal, Vegetable & Karhi)		30-00
	2	Half Diet (One Plate Rice Permal with Dal only)		18-00
	3	Chapatti Tanduri (Per Chapatti)		03-00
	4	Chapatti Tawa (Per Chapatti)		02-50
	5	Stuffed Prauntha with Pickle (Per Prauntha)		08-00
	6	Palk/ Matter Paneer (Per Plate)		30-00
	7	Shahi Paneer (Per Plate)		35-00
	8	Dal Makhni		25-00

17	9	Dal Fried		18-00
	10	Chana Masala		25-00
	11	Meat Plate 5 pieces weighing 200 Grm Per Plate with curry		45-00
	12	Chicken Plate 5 pieces weighing 200 Grm Per Plate with curry		40-00
	13	Tea		05-00
	14	Samosa		05-00
	15	Chawmin (Full Plate) Veg/ Non-Veg		35-00
	16	Chawmin (Half Plate) Veg/ Non-Veg		25-00
	17	Thukpa (Full Plate) Veg/ Non-Veg		30-00
	18	Thukpa (Half Plate) Veg/ Non-Veg		20-00
	19	Mo-Mo (Full Plate) Veg/ Non-Veg		30-00
	20	Mo-Mo (Half Plate) Veg/ Non-Veg		20-00
18	**Milk/Curd/Paneer**			
		Milk (Per Liter)		23-00
		Milk Boiled (Per Liter)		25-00
		Paneer (Cottage Cheese) Per KG		140-00
		Curd (Per Kg.)		30-00
20		**Bottled Beverages**		
	a)	Cold Drink	As per the printed rate	

NOTE:

01. Every dealer/ shopkeeper will issue cash memo to each consumer and keep duplicate copy of the same for inspection purpose.

02. The dealer/ shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance / conspicuously in "DEVNAGRI " script at their business premises, which shall be signed and dated by the Owner/ Partner/ Manager.

03. The Notification shall be valid for a period of one month from the date of its publication in the Official Gazette.

Sd/-
SUNIL CHAUDHRY, IAS
District Magistrate,
Kinnaur at Reckong Peo.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 1 मार्च, 2011

संख्याः यू0 डी0.ए0 (3) 14 / 2005.––इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 27–09–2007 के अधिक्रमण में, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 (1971 का 22) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

शिमला में राज्य सरकार से सम्बधित, पूर्वोक्ति अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) के अधीन यथा परिभाषित परिसरों की बाबत, उपर्युक्त अधिनियम के अधीन कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए निदेशक सम्पदा को कलक्टर के रूप में नियुक्त करती हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव, शहरी विकास।

[*Authoritative English Text of this Department order No. UD-A*(3)14/2005-I, *dated* 1*st March,* 2011 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*]

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 1*st March,* 2011

No. UD-A(3)14/2005-I.—In supersession of this department's notification of even number dated 27-09-2007, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the H.P. Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 (Act No.22 of 1971), is pleased to appoint Director of Estate as Collector to perform the functions of the Collector under the aforesaid Act, in respect of premises as defined under Clause (e) of Section-2 of the Act ibid, belonging to the State Government in Shimla.

By order,
Sd/-
Principal Secretary, (UD).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित